

एक नजर

अधिकर्ता संघ के गोरखपुर
मण्डल अध्यक्ष बने राम
विनय पाण्डेय का स्वागत



भारतीय बस्ती संवाददाता-
बस्ती। भारतीय जीवन बीमा निगम
के अधिकर्ता संघ का मंडल अध्यक्ष
निर्वाचित होने पर राम विनय पाण्डेय
का मंगलवार को स्वागत किया गया।
शाखा में संघ के पदाधिकारियों और
सदस्यों ने मंडल अध्यक्ष का स्वागत
किया। लाहौर इन्वॉयस एजेंट फेडरेशन
ऑफ इंडिया-1964 (सितम्बर 1964)
एलआईसी अधिकर्ता संघ का गोरखपुर
के रविवार लाइन बैठक के होटल में
बीते रविवार को चुनाव सम्पन्न हुआ।
जिसमें राम विनय पाण्डेय को मंडल
अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। चुनाव
में गोरखपुर मंडल के नौ जिलों के
प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

सम्मान समारोह में मंडल अ.
यस राम विनय पाण्डेय ने कहा कि
अधिकर्ता संघ का मंडल अध्यक्ष
निर्वाचित होने पर राम विनय पाण्डेय
का मंगलवार को स्वागत किया गया।
शाखा में संघ के पदाधिकारियों और
सदस्यों ने मंडल अध्यक्ष का स्वागत
किया। लाहौर इन्वॉयस एजेंट फेडरेशन
ऑफ इंडिया-1964 (सितम्बर 1964)
एलआईसी अधिकर्ता संघ का गोरखपुर
के रविवार लाइन बैठक के होटल में
बीते रविवार को चुनाव सम्पन्न हुआ।
जिसमें राम विनय पाण्डेय को मंडल
अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। चुनाव
में गोरखपुर मंडल के नौ जिलों के
प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

हवन से परिवार में बनी
रहती है सुख-समृद्धि



भारतीय बस्ती संवाददाता-
बस्ती। आर्य समाज नई बाजार,
बस्ती में चल रहे दिवसीय वेद
प्रचार कार्यक्रम के तीसरे दिन का
भूभागर स्वामी ध्यानंद विशालय
सुस्तीहट और विहैव स्वर एजुकेशन
संस्थान, सुस्तीहट से हुआ। योग शिक्षिका
नीलम मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित
इस प्रभात सत्र में राकेश पाण्डेय ने
सपलीक यजमान रहे।

देवयज्ञ (हवन) संपन्न कराते हुए
आचार्य सुरेश जोशी ने भारतीय वैदिक
काल गणना के महत्व पर प्रकाश
डाला। उन्होंने बताया कि इस
कर्मकांड से पूर्व संकाय लेने की
परिणत अव्यंत प्राचीन और वैज्ञानिक
है। संकाय के दौरान सृष्टि संवत,
मन्वन्तर, युग, मास, पक्ष, तिथि, गोपी
और स्थान का उच्चारण होने अपने
गौरवशाली सतिहर और समृद्ध संस्कृति
सि से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि
यह संकाय न केवल हमारी जाड़ी की
याद दिलाता है, बल्कि परिवार की
सुख, शांति और समृद्धि की आधारशिला
भी रहता है।

कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं ने
वेदमंत्रों के साथ आहुतियों प्रदान
की। कल्पवृक्ष दिवसीय रसमों की
अने अपने आधुनिक और प्रेरक भाषणों
से श्रोताओं को भावगोचर कर दिया।
आचार्य सुरेश जोशी ने 'तेजोवद'
कूट दर्शन को सहज रूप में
समझाया। आर्य समाज नई बाजार
के प्रधान अथवा प्रकाश आने में कार्यक्रम
के उद्देश्यों को बत देते हुए कहा कि
वैदिक विचारों का प्रसार ही जन-जन
को सही और सम्पूर्ण ज्ञान की दिशा
दिखाता है। कार्यक्रम का संचालन
करते हुए आचार्य देवव्रत आर्य ने
संसार के दुरागामी आध्यात्मिक और
सामाजिक तानों से अलग कर दिया।

बुजुर्गों को किराए पर मकान देगी सरकार

लखनऊ (आभा)। योगी
आदिन्याय सरकार युगी के शहरी
क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए
जल्द ही नई रेटल हाउसिंग नीति
लेकर आने जा रही है। इसमें प्रदेश
के सीनियर सिटीजन को सस्ते दरों
पर मकान देने की सुविधा होगी।
नीति तय करने के लिए सचिव आवास
की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति
बना दी गई है। विशेष सचिव आवास
राजेश कुमार राय ने इस संबंध में
शासनदात्री जारी कर दिया है। इसमें



लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद,
वाराणसी और मेरठ विकास प्राधिकरण
उपअध्यक्ष को रखा गया है। अगर
आवास अनुकूल आवास विकास परिषद
और मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
नगर और ग्राम नियोजन विभाग भी
सदस्य होंगे। निर्देशक आवास बंदु
को सदस्य संयोजक बनाया गया है।
समिति नीति के संक्षेप में प्रस्ताव तैयार
करते हुए अपने संस्तुति देगी।
राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश
के बुजुर्गों को बुढ़ापे में इशर-उधर न
मकान पड़े। खराब स्थिति या फिर
जरूरत पड़ने पर उन्हें सस्ते दरों पर

सिंचाई बंधु की बैठक में गुंजा नहरों के उफान, नलकूपों के बंद होने का मुद्दा



भारतीय बस्ती संवाददाता-
बस्ती। सिंचाई बंधु की बैठक
उपअध्यक्ष गजेन्द्र मणि पिपारी की
अध्यक्षता में विकास भवन संगमरमर में
सम्पन्न हुई। बैठक को सम्मोहित करने
उन्होंने कहा कि हो रही वर्षा के दूरे
उन्होंने जल जमाव में संचालित नहरों में
जल उफान की स्थिति उल्लेख हुई है
ऐसी स्थिति में हो रहे रिसाव, अवैध
कूपों को तत्परतापूर्वक बंद करवाया
जाए, जिससे सिंचन जल का
अनावश्यक बहाव न हो। उन्होंने सरसू
नहर खण्ड-4 के बंद के अधिशासी
अभिप्रेता /नौडल को निर्देशित किया
कि संचालित सभी खंड के अभियंतागण
अपने से सम्बंधित नहरों की निगरानी
सर्वाकार्यपूर्ण करते रहें। किसानों की
आने वाली समस्याओं का त्वरित
निस्तारण कराए।

कियायक प्रतिनिधि रूखी ल
कुलीपन मीन ने सुतलाइय व शुभानी
मंडलर में पानी न पहुंचने की जानकारी
दी और उसके बारे में अहमद मांगा।
उक्त क्रम में अधिशासी
अभिप्रेता /नौडल ने सहायक अभियंता
के निर्देशन में गतिवैध नहरों के माध्यम
से 10 सितम्बर को उक्त अहमद मांगा
का निरीक्षण कर तत्काल समाधान कराये
जाने का आवासन दिया है।
कियायक प्रतिनिधि कलानांज
गुलाबचंद सोनकर ने अधिशासी
अभिप्रेता नलकूप के बैठक में खल
प्रतिभाग न करने पर कड़ी मांराजगी
जतायी। उन्होंने पूर्व की बैठक में

पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पत्नी गिरफ्तार



नैरितल वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा
2025-26 की परीोजनाओं पर किए
गये खर्च की जानकारी व सूची की
मांग किया। बैठक में उपस्थित सहायक
अभिप्रेता नलकूप ने बताया कि उक्त
की सूची यथाशीघ्र उपलब्ध कर दी
जायेगी। वित्तमं 608 नलकूपों में
पिछाड़ जलपट्ट में संचालित नहरों में
जल उफान की स्थिति उल्लेख हुई है
ऐसी स्थिति में हो रहे रिसाव, अवैध
कूपों को तत्परतापूर्वक बंद करवाया
जाए, जिससे सिंचन जल का
अनावश्यक बहाव न हो। उन्होंने सरसू
नहर खण्ड-4 के बंद के अधिशासी
अभिप्रेता /नौडल को निर्देशित किया
कि संचालित सभी खंड के अभियंतागण
अपने से सम्बंधित नहरों की निगरानी
सर्वाकार्यपूर्ण करते रहें। किसानों की
आने वाली समस्याओं का त्वरित
निस्तारण कराए।

5 सितंबर को रामबहाल शाव
के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने
दुस्ती पत्नी इन्द्रावती, उसके पहले
पति के बेटे सदैव और एक अज्ञात

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का बड़ा मानदेय, नियुक्ति पत्र वितरित

भारतीय बस्ती संवाददाता-
बस्ती। मर्यादा पुरुषोत्तम भवन
श्रीराम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में
मंगलवार को नव नियुक्त आंगनबाड़ी
कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को
नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित
किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री
योगी आदिन्याय द्वारा नव नियुक्त
आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं
सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित
किए गए। इस कार्यक्रम का सजीव
प्रसारण व मुख्यमंत्री के उद्देश्यों
को राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईटी)
बुधउदरीय हाल में जनप्रतिनिधियों,अधि
कारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों,
सहायिकाओं तथा अन्य उपस्थित जनों
ने देखा तथा सुना।

जनपद स्तर पर विधायक हरैय
अजय सिंह, ब्लाक प्रमुख यशकान्त
सिंह, विधायक प्रतिनिधि सुरज
मिश्रा,जिलाधिकारी श्रीमती कुमिका
चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी



सार्थक अग्रवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट
अपूर्वा सिंह, न संयुक्त रूप से
आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री,सहायिका,पंचायत
सचिव, मुख्य सेविका,युवाश्रित बच्चे
एवं परिवार का सम्मान किया गया
विधायक हरैय अजय सिंह ने
कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आंगनबाड़ी
कार्यकर्त्री,सहायिकाओं के मानदेय
में बढ़ोतरी की गई है तथा 5 लाख
तक कंशलेख शिक्षिका शिक्षिका की
उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा उत्तर

क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर ठगने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

भारतीय बस्ती संवाददाता-
बस्ती। साइबर ब्रांच पुलिस ने लोगों
को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर
ठगने वाले गिरोह के दो सदस्यों को
गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक
आरोपी पहले कोलकाता और गुवागुल पर
मोबाइल बैंक डालकर संबंधित व्यक्ति
का नाम पता करते थे। इसके बाद
खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी
बताकर फीस को ठग करते और मुकदमा
में फसाते थे। आरोपी 42 पन्नों
की सीडीआर निवेदन और आदेश
सीडीआर देखने का आरोप लगाकर
लोगों को डराते थे। थाने में मामला
खल करने के नाम पर हजारों रूप्य
और कोर्ट से मामला खल करने के
लिए लाखों रूप्य की मांग की जाती थी।



पुलिस के अनुसार, जांच में सामने
आया कि रामबहाल शाव पीता था।
आरोप है कि इन्द्रावती पति पर जमीन
बेकायत दूकान बनवाने, जेवर गिरवी
लाने और बच्चों के भविष्य को लेकर
लुत्ताहट देना बतानी थी। पुलिस का
माना है कि इसी वजह से रामबहाल
सावदा निवारक से परेशान था और
उन्हने खुद को गोली मार ली। सीडीआर
सिंह ने बताया कि घटना के बाद
इन्द्रावती ने इर के कारण तमाम
दिन दिया था। इसकी निवारणदेही
पर पुलिस ने 315 कोर का अर्डर
तमाम और एक लाख हुआ खोला
कार्रवाई बरामद किया। पुलिस ने
इन्द्रावती को उसके घर से गिरफ्तार
किया। इसके बाद उसे कोर्ट में धर
किया गया।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार
आरोपियों की पहचान आदित्य गुप्ता
(28) निवासी दक्षिण दरवाजा, पुरानी

मिश्रौलिया में शुरु हुआ सड़क निर्माण नगरपालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने बताया कि सड़क निर्माण

भारतीय बस्ती संवाददाता-
बस्ती। नगर पालिका अध्यक्ष नेहा
वर्मा ने मंगलवार को मांजाप के
वर्षिक नेता अक्षर वर्मा, समाजवा राजन
ठाकुर के साथ नगरपालिका के बाई
नं. 2 संतपुर मिश्रौलिया में निर्माण
गिन सड़क का निरीक्षण किया। निर्देश
दिया कि सड़क का निर्माण पूरी
गुणवत्ता के साथ कार्याय जाय।



नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा
ने बताया कि क्षेत्रीय नगरपालिका लगातार
सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे,
इसे देखते हुये नगर विकास मंत्री से
आग्रह किया गया।

पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर
विकास योजना के तहत सड़क का
आरोप लाया था कि इन्द्रावर अहमद
ने चाकू की नोक पर पत्र किया और
पुलिस में जाने की बात पर शादी का
झांसा देकर उसे घर से भाग ले
गया। दोनों साथ रहने लगे, लेकिन
अहमद शादी टालता रहा। उसके
माता-पिता ने उसे नगम पढ़ने और
गाना खाने के लिए कहा। मना
करने पर मातृछेदी की तीन बार गर्भकटी
होने पर अहमद ने गर्भकटी कराया
दिया।इन आरोपों पर प्रक्रिया ने 29
मार्च 2025 को प्रक्रियाएं शुरू में
शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने
अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज
दिया। वह करीब 48 महीने जेल में
रहा। फिलहाल जमानत पर है।
अहमद के पिता अखिल नंदन ने कहा
कि प्रक्रिया शुरू करने से अहमद
से शादी की बात कहली थी। उसने
बेटे से 5 लाख रूप्य से ज्यादा भी
ले लिया। अहमद को एक हप्ता की
प्रक्रिया उसे फंसा कहली है, इसलिए
हउ उससे दूरी बनाने का उपाय। उस
प्रक्रिया को सारा कि अहमद रिश्वत
खस करना चाहता है, तो उसने
शिकायत कर दी। मामला में लव
विहार का मुद्दा उठने के बाद हिंदू
सामंजस ने विरोध-प्रदर्शन किया था।

आनन्द श्रीवास्तव के लापता होने पर भड़के कर्मचारी, सकुशल बरामदगी न हुई तो 16 को धरना

भारतीय बस्ती संवाददाता-
बस्ती। मंगलवार को राज्य
कर्मचारी संयुक्त परिषद की
आक्रामक बैठक कलेक्ट्रेट परिसर
स्थित संच भवन में आरम्भ मतारम्भ
वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
बैठक में कोषागार कर्मचारी संघ के
मंजी आलोक श्रीवास्तव के भाई
आनन्द श्रीवास्तव के 1 सितम्बर
से लापता होने के मामले और पुलिस
कार्रवाई पर चर्चा हुई। मांग किया
गया कि आनन्द श्रीवास्तव की
सकुशल बरामदगी सुनिश्चित करवाया
जाय। यदि 15 सितम्बर को
सकुशल बरामदगी न हुई तो 16
सितम्बर को कलेक्ट्रेट परिसर में
जनपद के कर्मचारी धरना देना।



परिषद के कार्यवाहक अ.
यश राम अपार पाल और मंजी लाल
प्रसाद ने बताया कि परिषद ने 2
सितम्बर को आनन्द श्रीवास्तव के
गमगुश्दी की रिपोर्टें भेजा कोवापली
में दर्ज करवाया। अभी तक आनन्द
श्रीवास्तव के बारे में कोई जानकारी
नहीं मिल सकी है। इससे आनन्द की
आशंका बढ़ गयी है। नेताइयों ने
कहा कि पुलिस प्रशासन मामले को
गंभीरता से नहीं ले रहा है। इससे

रजा को इन्द्रावर रखा। कुछ समय
बाद प्रियंका और अहमद के बीच
अपहरण का गया। पता चलने पर
परिवार ने प्रियंका को घर से निकाल
दिया। बच्चों को अपने पास रखा
लिया। इसके बाद प्रियंका अहमद के
साथ किए गए मकान में निवस-इन
में रहने लगीं। वह मकान एक डॉक्टर
का था। प्रियंका एक वहील के जरिए
थानाखुद सूत्र प्रकाश सिंह से बातचीत
करती थी। हमने प्रियंका से मालव
रामन गलत जाओ गया। उनका कोई
दोष नहीं है। हम प्रियंका की मदद
नहीं कर रहे थे। मेरे पति को छोड़
दिया जाय।

प्रियंका-अहमद जिस डॉक्टर के
घर किए गए रहते थे, उसे भी
शिकायत बनाया। डॉक्टर ने नाम न
छापने की शर्त पर शिकायत कर दी
साल पहले उन्होंने दोनों को एक
मकान 2 हजार रूप्य महीने के किराए
पर दिया था। कुछ महीने बाद दोनों
के बीच विवाद होने लगा। इसी दौरान
प्रियंका ने बातचीत के कहाने मेरे
फोटो-वीडियो बना लिए और मुझे
लैकमेक करने लगी। बदनामी के डर

डाक्टर से वसूले 4 लाख, थानेदार ने जान दिया: ब्लैकमेलर महिला ने प्रेमी को भी नहीं छोड़ा, मां बोली- सजा मिले

भारतीय बस्ती संवाददाता-
बस्ती। 'बेटी दोरी है तो उसे
सजा मिले, लेकिन मेरे तनिके होंगे।
या जोकील है, उसी ने प्रियंका से
सब कुछ करवाया। हम सब यही चाहते
हैं कि हमारे पति को छुड़ाने दिलाए।'
ये शब्द हैं प्रियंका चौधरी की मां
सुमवती चौधरी की। उनकी बेटी पर
ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप हैं। बस्ती
में तैनात थानेदार सूर्य प्रकाश सिंह ने
तीन मामले से परेशान होकर 29
अगस्त को आत्महत्या कर ली थी।
पुलिस जांच में सामने आया कि
प्रियंका पर पहले भी कई लोगों को
जमाने में फंसाकर पैसे उठाने के
आरोप लग चुके हैं। एक डॉक्टर ने
बताया कि वह दुर्भाग्य परेशान हो गया
था कि सुनुवाइड करने की सोचने
लगा था। पुलिस ने 32 साल की
प्रियंका, उसके पति और एक वकील
को गिरफ्तार किया है।



वाल्दरगज थाना क्षेत्र के गांधार
गांव में उसकी मां सुमवती चौधरी,
बाबा संजय चौधरी ने बताया कि उनकी
दो बेटियां और एक बेटा हैं। बड़ी
बेटी सुसुवती हैं हैं, जबकि बेटा
ललनरुज में नौकरी करता है।
प्रियंका की शादी 15 साल पहले
पैगोसिया मुस्लिम गांव के महेंद्र प्रताप
बाबा से हुई थी। दोनों के एक बेटा
एक बेटा हैं। 14 साल का बेटा
हार्दसुल और 13 साल की बेटी भी
में पढ़ती है। सुमवती के मुताबिक,
15 साल पहले महेंद्र ने प्रियंका को छोड़
दिया था। इसके बाद वह बच्चों के
साथ मायके आकर रहने लगी। उसने
पति के खिलाफ दर्शन उलटीज की
शिकायत की थी।

सुमवती ने बताया, उनकी ननद
की कोई संतान नहीं थी और वह
बाद से प्रेम रहती थी। उनकी मां के
बाद सेव परिवार को मिल गए। 2024
में खेत बेचकर बोलेरो खरीदी और
पड़ोसी गांव जमदाराही के अहमद

निराह के चौथे शिकार थे। अब गिरोह
के संसर्क में आए अन्य लोगों की
जानकारी जुटाई जा रही है।
वाल्दरगज थाना क्षेत्र के गांधार
गांव में उसकी मां सुमवती चौधरी,
बाबा संजय चौधरी ने बताया कि उनकी
दो बेटियां और एक बेटा हैं। बड़ी
बेटी सुसुवती हैं हैं, जबकि बेटा
ललनरुज में नौकरी करता है।
प्रियंका की शादी 15 साल पहले
पैगोसिया मुस्लिम गांव के महेंद्र प्रताप
बाबा से हुई थी। दोनों के एक बेटा
एक बेटा हैं। 14 साल का बेटा
हार्दसुल और 13 साल की बेटी भी
में पढ़ती है। सुमवती के मुताबिक,
15 साल पहले महेंद्र ने प्रियंका को छोड़
दिया था। इसके बाद वह बच्चों के
साथ मायके आकर रहने लगी। उसने
पति के खिलाफ दर्शन उलटीज की
शिकायत की थी।

गिरोह के चौथे शिकार थे। अब गिरोह
के संसर्क में आए अन्य लोगों की
जानकारी जुटाई जा रही है।
वाल्दरगज थाना क्षेत्र के गांधार
गांव में उसकी मां सुमवती चौधरी,
बाबा संजय चौधरी ने बताया कि उनकी
दो बेटियां और एक बेटा हैं। बड़ी
बेटी सुसुवती हैं हैं, जबकि बेटा
ललनरुज में नौकरी करता है।
प्रियंका की शादी 15 साल पहले
पैगोसिया मुस्लिम गांव के महेंद्र प्रताप
बाबा से हुई थी। दोनों के एक बेटा
एक बेटा हैं। 14 साल का बेटा
हार्दसुल और 13 साल की बेटी भी
में पढ़ती है। सुमवती के मुताबिक,
15 साल पहले महेंद्र ने प्रियंका को छोड़
दिया था। इसके बाद वह बच्चों के
साथ मायके आकर रहने लगी। उसने
पति के खिलाफ दर्शन उलटीज की
शिकायत की थी।

सुमवती ने बताया, उनकी ननद
की कोई संतान नहीं थी और वह
बाद से प्रेम रहती थी। उनकी मां के
बाद सेव परिवार को मिल गए। 2024
में खेत बेचकर बोलेरो खरीदी और
पड़ोसी गांव जमदाराही के अहमद

निराह के चौथे शिकार थे। अब गिरोह
के संसर्क में आए अन्य लोगों की
जानकारी जुटाई जा रही है।
वाल्दरगज थाना क्षेत्र के गांधार
गांव में उसकी मां सुमवती चौधरी,
बाबा संजय चौधरी ने बताया कि उनकी
दो बेटियां और एक बेटा हैं। बड़ी
बेटी सुसुवती हैं हैं, जबकि बेटा
ललनरुज में नौकरी करता है।
प्रियंका की शादी 15 साल पहले
पैगोसिया मुस्लिम गांव के महेंद्र प्रताप
बाबा से हुई थी। दोनों के एक बेटा
एक बेटा हैं। 14 साल का बेटा
हार्दसुल और 13 साल की बेटी भी
में पढ़ती है। सुमवती के मुताबिक,
15 साल पहले महेंद्र ने प्रियंका को छोड़
दिया था। इसके बाद वह बच्चों के
साथ मायके आकर रहने लगी। उसने
पति के खिलाफ दर्शन उलटीज की
शिकायत की थी।

गिरोह के चौथे शिकार थे। अब गिरोह
के संसर्क में आए अन्य लोगों की
जानकारी जुटाई जा रही है।
वाल्दरगज थाना क्षेत्र के गांधार
गांव में उसकी मां सुमवती चौधरी,
बाबा संजय चौधरी ने बताया कि उनकी
दो बेटियां और एक बेटा हैं। बड़ी
बेटी सुसुवती हैं हैं, जबकि बेटा
ललनरुज में नौकरी करता है।
प्रियंका की शादी 15 साल पहले
पैगोसिया मुस्लिम गांव के महेंद्र प्रताप
बाबा से हुई थी। दोनों के एक बेटा
एक बेटा हैं। 14 साल का बेटा
हार्दसुल और 13 साल की बेटी भी
में पढ़ती है। सुमवती के मुताबिक,
15 साल पहले महेंद्र ने प्रियंका को छोड़
दिया था। इसके बाद वह बच्चों के
साथ मायके आकर रहने लगी। उसने
पति के खिलाफ दर्शन उलटीज की
शिकायत की थी।

सुमवती ने बताया, उनकी ननद
की कोई संतान नहीं थी और वह
बाद से प्रेम रहती थी। उनकी मां के
बाद सेव परिवार को मिल गए। 2024
में खेत बेचकर बोलेरो खरीदी और
पड़ोसी गांव जमदाराही के अहमद

निराह के चौथे शिकार थे। अब गिरोह
के संसर्क में आए अन्य लोगों की
जानकारी जुटाई जा रही है।
वाल्दरगज थाना क्षेत्र के गांधार
गांव में उसकी मां सुमवती चौधरी,
बाबा संजय चौधरी ने बताया कि उनकी
दो बेटियां और एक बेटा हैं। बड़ी
बेटी सुसुवती हैं हैं, जबकि बेटा
ललनरुज में नौकरी करता है।
प्रियंका की शादी 15 साल पहले
पैगोसिया मुस्लिम गांव के महेंद्र प्रताप
बाबा से हुई थी। दोनों के एक बेटा
एक बेटा हैं। 14 साल का बेटा
हार्दसुल और 13 साल की बेटी भी
में पढ़ती है। सुमवती के मुताबिक,
15 साल पहले महेंद्र ने प्रियंका को छोड़
दिया था। इसके बाद वह बच्चों के
साथ मायके आकर रहने लगी। उसने
पति के खिलाफ दर्शन उलटीज की
शिकायत की थी।

सुमवती ने बताया, उनकी ननद
की कोई संतान नहीं थी और वह
बाद से प्रेम रहती थी। उनकी मां के
बाद सेव परिवार को मिल गए। 2024
में खेत बेचकर बोलेरो खरीदी और
पड़ोसी गांव जमदाराही के अहमद

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 9 सितम्बर 2026 बुधवार

सम्पादकीय

जर्जर मकान, मौतों और तंत्र

महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक में किराए पर मकान देने का एक बहुत बड़ा उद्योग खड़ा हो गया है। जहां जगह मिले, वहां बहुमंजिला इमारतें बना दी जाती हैं। सरकारी दस्तावेजों में भले ही ऐसी इमारतें आवासीय श्रेणी में पंजीकृत होती हैं, लेकिन इनमें से कई में पेइंग गेस्ट (पीजी), होटल और रेस्तरां संचालित किए जाते हैं। जब ये इमारतें जर्जर हो जाती हैं, तो कई दफा भ्रमराकार गिर जाती हैं या इनमें आग लगने के हादसे होते हैं। ऐसी घटनाओं में एकआड़ो पर दर्ज होती है, उसके बाद कुछ इमारतों पर सीलिंग या तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है और बाद में सब कुछ फिर उसी ढर्रे पर लौट आता है। हादसों की कड़ियों में बीते रविवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर के पास स्थित सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत के ढहने की घटना भी शामिल हुई है, जिसमें विद्यार्थियों समेत सात लोगों की मौत हो गई। ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि ये सब कैसे हो रहा है, बल्कि यह भी है कि कौन है, जो ऐसा होने दे रहा है।

हाल के दिनों में देश भर में जर्जर इमारतों के गिरने या आग लगने के कई हादसे सामने आ चुके हैं। नतीजे जून में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के माधवीली नगर में एक होटल में आग से बाईस लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलीगंज स्थित एक व्यावसायिक इमारत में आग की घटना में विद्यार्थियों समेत पंद्रह लोगों की जान बली गई थी।

खबरों के मुताबिक, सत्य निकेतन में जिस इमारत के गिरने से हादसा हुआ, वह काफी पुरानी थी और जर्जर हालत में थी। इसके बावजूद उसे पीजी के तौर पर किराए पर दिया गया था। जब हादसा हुआ, उस वक्त वहां भूतल पर मरम्मत कार्य चल रहा था। यानी वहां रहने वाले विद्यार्थियों की जान को जानबूझकर जोखिम में डाला गया। पुलिस ने भले ही इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और सरकार ने संबंधित पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, लेकिन क्या इस कार्रवाई से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि भविष्य में ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति नहीं होगी?

सवाल सिर्फ किसी एक घटना का नहीं है, बल्कि देश भर में उन हजारों जर्जर इमारतों का है, जिनका नियमों को तला तात्कार व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े शहरों में किसी इमारत का नक्शा पास होने से लेकर उसके बमने तक एक लंबी विभागीय प्रक्रिया होती है। कई स्तर पर जांच होती है, तब जाकर उसके इस्तेमाल की अनुमति दी जाती है। इसके बाद भी समय-समय पर उसकी जांच करने का प्राधान्य है और अगर वह जर्जर हालत में पाई जाती है, तो उसे असुरक्षित घोषित किया जाता है। इसके बावजूद अगर नियमों की अमरदेशी आ चुके हैं, तो इसे सांभालना का तंत्र नहीं और अगर क्या कहा जाएगा। दिल्ली सरकार अब पीजी सूची नीति लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि राजधानी में इस तरह के प्रयास वर्ष 1993 से जारी हैं, लेकिन अभी तक ठोस नियम जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाए हैं। पीजी में रहने वालों से मोटी खम किराए में वसूली जाती है, लेकिन उनकी सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि सिर्फ नीति या कानून बना देने से समस्या हल नहीं हो सकती, जरूरत उन्हें कड़ाई से अमल में लाने की है।

रासुका का दुरुपयोग

बीते अप्रैल में नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार की गई दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला यह बताने के लिए काफी है कि पुलिस महकमा अपने दायित्वों को लेकर किस हद तक गंभीरजिम्मेदार है। बिना किसी ठोस आक्षार के छात्रा को गिरफ्तार किया गया, उसे बिना किसी स्पष्ट आधार के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत महीनों जेल में रखा गया। जबकि अदालत में पुलिस छात्रा के विरुद्ध कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। जाहिर है, यह पुलिस की कार्यशैली, लापरवाही और मनमाना का एक और उदाहरण है। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'मनगढ़त कहानी' के आधार पर छात्रा को पांच महीने से हिरासत में रखा गया है। छात्रा की गिरफ्तारी और रासुका के तहत नोटिस जारी करने के क्रम में कई प्रक्रियागत खामियां भी सामने आईं। अदालत ने नोएडा के जिलाधिकारी को उन्हें पांच लाख रुपया का मुआवजा देने को भी कहा।

अदालत का यह फैसला दरसकत पुलिस की कार्यशैली और जांच करने के उसके तौर-तरीके पर सवालिया निशान है। इसमें दोषारथ नहीं बिना किसी पुष्टता के किसी पर भी रासुका लगाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। रासुका देश की सुरक्षा से संबंधित एक संवेदनशील कानून है और इसे नागरिकों के भीतर डर पैदा करने का औजार नहीं बनाया जाना चाहिए। विचित्र बात यह है कि कानून—व्यवस्था बना रखने की सामान्य स्थितियों में भी इसे बिना सोचे-समझे किसी निर्दोष पर लगा दिया जाता है। इस संबंध में अदालत ने जो दिपणियां दी हैं, उससे यह सवाल खड़ा हुआ है कि इस तरह का कठोर कदम उठाने से पहले क्या पुलिस अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करती और क्या वह किसी परोक्ष निर्देश पर काम कर रही होती है।

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां किसी मुद्दे पर धरना-प्रदर्शन तथा आंदोलन कोई नई बात नहीं। मगर इस दौरान कार्यकर्ताओं, श्रमिकों और विद्यार्थियों को खिलाफ भी पुलिस का जैसा रवैया देखने में आ रहा है, वह प्रकारांतर से असहमति को दबाने की ही प्रयास है।

विविधता को स्वीकार कर मजबूत हुई भारतीय एकता



— डॉ. सत्यवान सौरभ—

स्वतंत्रता के समय भारत के सामने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता को स्थायी बनाने की चुनौती नहीं थी, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण भी करना था जिसमें भाषा, संस्कृति, परंपरा और क्षेत्रीय पहचान की असाधारण विविधता के बावजूद राष्ट्रीय एकता कायम रहे। ब्रिटिश शासन से विरासत में मिली प्रांतीय सीमाएँ प्रशासनिक सुविधा और औपनिवेशिक हितों के अनुरूप थीं। इनमें अनेक क्षेत्रों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया था। इसलिए स्वतंत्रता के बाद भाषा आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग स्वाभाविक रूप से उठी।

हालांकि शुरुआती दौर में राष्ट्रीय नेतृत्व भाषाई राज्यों को लेकर आसक्ति था। विभाजन की त्रासदी अभी ताजा थी और यह भय था कि यदि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया तो क्षेत्रीय पहचान राष्ट्रीय पहचान पर हावी हो सकती है। किंतु भारतीय लोकतांत्रिक विरोधता यही रही कि उसने इन आकांक्षाओं को दबाने के बजाय संकेतिक और लोकतांत्रिक तरीके से समाधायित्व करने का रास्ता चुना।



समय ने सिद्ध किया कि भाषाई पहचान को समान देना भारत की एकता के लिए खतरा नहीं, बल्कि उसकी मजबूती का आधार बन सकता है। भाषाई पहचान की राजनीतिक स्वीकार्यता स्वतंत्रता से पहले ही दिखाई देने लगी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रांतीय संगठनों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया था। इसका उद्देश्य यह था कि जनता से स्वांद उनकी भाषा और संस्कृति—सांस्कृतिक संसारों में बेहतर ढंग से हो सके। लेकिन स्वतंत्रता और विभाजन के बाद परिस्थितियाँ बदल गईं। राष्ट्रीय नेतृत्व तत्काल किसी बड़े क्षेत्रीय पुनर्गठन के पक्ष में नहीं था।

1948 में गठित धार आयोग ने तत्काल भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा नहीं की। इसके

बाद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और ब्रह्मा सितारामया की सदस्यता वाली जेपीपी समिति ने भी 1949 में राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक स्थिरता और न्यायविरुद्ध राष्ट्र की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उस समय यह सावधानी समझ में आती थी, क्योंकि देश राजनीतिक संक्रमण और सामाजिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। लेकिन जन आकांक्षाओं को अनिच्छित काल तक लटाने नहीं जा सकता था। आंध्र क्षेत्र में तेलुगु भाषी जनता के लिए अलग राज्य की मांग उठ रही थी। पंडित श्रीरामपुर के 1952 के आमरण अहिंसक आंदोलन के निर्णायक मोड़ दिया। व्यापक जनदबाव के बाद 1953 में आंध्र राज्य का गठन हुआ। यह घटना केवल एक राज्य के निर्माण तक

सीमित नहीं रही, बल्कि इसने देश के अन्य हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को गति दी। इसके बाद सरकार ने समस्या का व्यापक और संस्थागत समाधान खोजने का प्रयास किया। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी अध्यक्षता फजल अली ने की, ने भाषाई और सांस्कृतिक आकांक्षाओं के साथ-साथ प्रशासनिक, आर्थिक तथा भौगोलिक व्यवस्थाओं पर भी विचार किया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम तथा संविधान का सवावें संशोधन लागू हुआ। इसके परिणामस्वरूप भारत के प्रशासनिक मानचित्र में व्यापक बदलाव आया और 14 राज्यों तथा छह केंद्रशासित प्रदेशों की व्यवस्था अस्तित्व में आई। भाषाई राज्यों का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि उन्होंने क्षेत्रीय

पहचान और राष्ट्रीय पहचान के बीच टकराव को कम किया। जब किसी संस्थापक को अपनी भाषा, संस्कृति और स्थानीय आकांक्षाओं के अनुरूप प्रशासनिक पहचान मिली तो अलगवर्गीय भावना कमजोर हुई। लोगों को यह विश्वास मिला कि भारतीय संघ उनकी विशिष्ट पहचान को समाप्त करने के बजाय उसका समान करता है। भाषाई पुनर्गठन का दूसरा महत्वपूर्ण लाभ प्रशासनिक स्तर पर दिखाई दिया। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शासन-प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता ने राज्य और नागरिक के बीच दूरी कम की। लोकतंत्र तभी प्रभावी होता है जब नागरिक शासन की भाषा और प्रक्रिया को समझ सकें। क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशासन ने सामान्य नागरिकों की भागीदारी को अधिक सारक बनाया। इस व्यवस्था ने लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को भी व्यापक बनाया। स्थानीय भाषा बोलने वाले राजनीतिक नेतृत्व को राज्य स्तर पर उभरने का अवसर मिला। इससे राजनीति अधिक जनसंस्कारों से जुड़े और विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएँ राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनीं। भाषाई राज्यों ने यह भी सिद्ध किया कि संघीय व्यवस्था में अलग-अलग क्षेत्रीय पहचानें राष्ट्रीय एकता के साथ सह-अस्तित्व रख सकती हैं। भारत का पुनर्गठन 1956 पर समाप्त नहीं हुआ। बदलती राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार राज्यों की सीमाओं में आगे भी परिवर्तन हुए। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात के गठन तथा 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के साथ हरियाणा का निर्माण

इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि भारतीय संघ कोई स्थिर और अपरिवर्तनीय प्रशासनिक ढाँचा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप स्वयं को ढालने वाली व्यवस्था है। हालांकि भाषाई राज्यों की समलता का अर्थ यह नहीं कि भाषाई अस्मिता से जुड़ी सभी चुनौतियाँ समाप्त हो गईं। भाषाई बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यक भाषाओं की उपेक्षा और क्षेत्रीय श्रेष्ठतावाद जैसी प्रवृत्तियाँ संघीय संस्था के लिए चुनौती बन सकती हैं। इसलिए भाषाई पहचान के संरक्षण के साथ भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी आवश्यक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को सदैव भाषाओं में प्रशासन ने सामान्य नागरिकों की भागीदारी को अधिक सारक बनाया। इस व्यवस्था ने लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को भी व्यापक बनाया। स्थानीय भाषा बोलने वाले राजनीतिक नेतृत्व को राज्य स्तर पर उभरने का अवसर मिला। इससे राजनीति अधिक जनसंस्कारों से जुड़े और विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएँ राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनीं। भाषाई राज्यों ने यह भी सिद्ध किया कि संघीय व्यवस्था में अलग-अलग क्षेत्रीय पहचानें राष्ट्रीय एकता के साथ सह-अस्तित्व रख सकती हैं। भारत का पुनर्गठन 1956 पर समाप्त नहीं हुआ। बदलती राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार राज्यों की सीमाओं में आगे भी परिवर्तन हुए। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात के गठन तथा 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के साथ हरियाणा का निर्माण

छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन?

—डॉ. रमेश कुमार ठाकुर—



हादसे की जिम्मेदारी शायद ही कोई ले? क्योंकि ऐसे हादसे दिल्ली में समय-समय पर होते रहे हैं। कुछ महीनों पहले ही एक अर्धवर्ग होटल में आग लगने से विदेशी सहित कई लोग जलकर खाक हुए थे। बिल्डिंगों का गिरना तो दिल्ली में आम हो चुका है। दिल्ली में अर्धवर्ग कोलोंगों की भरमार है।

मानवीय हिमाकों के चलते दिल्ली में और एक बड़ी दर्दनाक घटना घट गई। सत्य निकेतन के मोतीमन स्थिति को सत्ता पुरानी जर्जर हालत की बिल्डिंग नीत बनकर रिजिडेंस बारिश में भ्रमराकार गिर पड़ी। घटना की सूचना पाकर पहुंचे बच्चों के परिजनों की चीखें कर्जजा फुल रही हैं। परीजन विलख रहे हैं। मांग बदहालवा और बेवूझ हैं। स्थानीय पुलिस और बुद्धमौली अधिकारियों का घटनास्थल पर जघमघट लगा है। राहत-तथाच्य का आरंभ जारी है। धायल बच्चे एम्स के ट्रामा सेंटर भिजवाए जा रहे हैं। लेकिन वहां से कुछ बच्चों के ना रहने की सूचनाएं हर किसी को झकझोर रही हैं। बिल्डिंग में रहने वाले बच्चे तकरीबन बाहरी प्रवेश के थे। यह अपना उज्जवल भविष्य बनाने की चाह लेकर शिक्षा ग्रहण करने पहुंचे थे। पर, उन्हें क्या पता हादसों का रूप ले चुकी दिल्ली की औद्योगिक जल लील लेगी। पहले वाले बच्चों के साथ दिल्ली में आए दिन कोई न कोई हादसा होता ही रहता है। राज्ज नगर स्थिति कोथिं सेंट्र की बेसमेंट में पानी भरने से हुई बच्चों की मौत को शायद ही कोई भूल पाया हो। मुखज्जी नगर की कोथिं सेंट्र में आग लगने की घटना को याद करके भी रोते-खडे होते हैं।

इस तरह की प्रत्येक घटनाओं पर जिम्मेदार अधिकारियों और नेत्राओं का हवाला से एक ही बयान होता है। दोषी बख्ते नहीं जाएंगे, सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा मुक्तकों के परिजनों को मुआवजा और धारणों की इलाज करकर ममला रूय-दफन कर दिया जाता है और जब तक मीडिया में घटना की चर्चाएं हो रही, कार्रवाई के नाम पर सरकारी डंडा पीटा जाता रहेगा। शोर उठे ही शांत होगा। जांच-पड़ताल उड़े बरसे में चली जाएगी। जमींदार हुई बिल्डिंग में ज्यादातर विश्वविद्यालय में पहले वाले और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले मात्र 20-22 आयु के बच्चे रहते थे। मालिक ने बिल्डिंग को करीब 30 सालों से पीजी के लिए किसी अन्य को किराए पर दिया हुआ था। बिल्डिंग मानकों के एकदम विरुद्ध निर्मित हुई थी।

क्षेत्रफल मात्र 55 गुज का था जिसमें 30 कम्परे बने रहने थे। बिल्डिंग 40 से 45 फीट पुरानी बताई जाती है। जमका, रवेरने में इससे भी कहीं पुरानी लगती थी। मालिक पर मुकदमा हुआ है। एकाध महीने बाद उसे जमानत मिल जाएगी। इसी जगह पर फिर से दूसरी बिल्डिंग तान दी जाएगी।

इसे भी पढ़ें दिल्ली में किस बात से बेवश बटिफुल इज्जर सरकार? उल्टे छपामदुल्ल हादसे पर तिसर लॉकडौन का ठग पर बार दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में बने पीजी को लेकर 'इंडियन वीटिडिकल कॉन्फ्रेंस ने कुछ वर्ष पहले एक रिसर्च किया था जिसमें पाया था कि 85 फीट की ऊँची बच्चों के रहने के लायक नहीं है। इस तरह की रिसर्च रिपोर्ट को भी कुदुस्तों ने दरकिनारा किया। हादसे का शिकार हुई बिल्डिंग के निर्माण में धोर मानवीय हिमाकत का तांडव किया गया था। दिल्ली नगर निगम से लेकर, पुलिस फायर ब्रिगेड और सरकार के अधिकारियों ने घूस खाया। घटनास्थल जगह दिल्ली का सत्य निकेतन है जिसे खूब या निचला-बारातल क्षेत्र भी कहते हैं। वहां बिल्डिंग बनने की मात्र बाई मंजिला जगहजगत होती है। पर, अधिकारियों ने घूस खाया। प्लान पैदा करने वाले हादसे को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ी है कि बिल्डिंग में अर्धवर्ग निर्माण होता है और जिम्मेदार लोग आता रुंदकर तमशबोरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, करीब 40 साल पुरानी हल बिल्डिंग में बारिश के दौरान हल सलमेज जलमग्न हो जाता था, जिससे इस्तेक नींव कमजोर होती गई और इस साल बज्ज नगी सलहन कर पाई जिससे समरभरक हल गई। हादसे की जिम्मेदारी शायद ही कोई ले? क्योंकि ऐसे हादसे दिल्ली में समय-समय पर होते रहे हैं। लेकिन महीने पहले ही एक अर्धवर्ग होटल में आग लगने से विदेशी सहित कई लोग जलकर खाक हुए थे। बिल्डिंगों का गिरना तो दिल्ली में आम हो चुका है। दिल्ली में अर्धवर्ग कोलोंगों की भरमार है। कहने को तो अर्धवर्ग है लेकिन अधिकारी

घूस लेकर उसे चंद मिट्टों में पैक कर देते हैं। दिल्ली में इस समय करीब 1731 अर्धवर्ग कोलोंगों और 650 से करके 675 कुणी कोथिंघाई हैं जिनमें ज्यादातर किराएदार ही रहते हैं। दिल्ली ऐसा शहर है जहां देश के सभी प्रांतों के लोग रोजी रोटी ममाने आते हैं। शिखा का हब भी दिल्ली में है। जहां सिविल सेवा की तैयारी करने बच्चे दूर-दूरजग से पहुंचते हैं। 5 लाख बच्चे सालाना सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करने दिल्ली के मुखज्जी नगर आते हैं, रहने के लिए उन्हें पीजी चाहिए होता है। ऐसे में बच्चे सप्ताही खोजते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता सस्ता घर उनकी जान ले लेगा? बच्चे 15 लाख बच्चे अन्य प्रदेशों के दिल्ली के विभिन्न कोलोंगों में अकाम्यरत हैं। जहां हादसा हुआ, उस इलाके में तकरीबन घर पीजी में तबदील हैं। पीजी के नाम पर बज्ज नेमसस सल इलाके में चलाता है जिसका ममान होता है यह खुद पीजी संभावित नीत खराब नहीं है, उन्हें दवा की आवश्यकता नहीं है, उनके पास पहनने के लिए वस्त्र तो हैं। ऐसे घरों में किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान, दिन जाने वाले दान आदि सब बख्ते हो जाते हैं। वहाँ से सुख-शांति कब उठने पू हो जाती है, पता ही नहीं चलता। इन्हीं कपूतों को पाने के लिए माता-पिता ईश्वर से हाथ जोड़कर पुत्र की कामना करते हैं। जो उनके जीने की पैसा नहीं कर सकता, उनका ध्यान नहीं रख सकता, वह उन्हें कौन से तथ्याकथित नरक से उभारेगा, जैसी कि मान्यता है। इन्हीं कपूतों के लिए बेटियों को जन्म लेने से पहले ही माता के कर्तव्य में मान दिया जाता है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अधिकांश बेटियों को अपने माता-पिता की परवाह देते से अधिक होती है। वे आजन्म उनकी बिल्डिंग को पहले ही जमींदारी करने का संकल्प भी लेना चाहिए।

सभ्य समाज का बड़ा कलंक

—चन्द्र प्रभा सूद—



सभ्य समाज के माथे पर लगने वाला यह बहुत बड़ा कलंक है कि यदि उसके आयुष्मार्त दुर्गुणों के लिए पर में स्थान न हो, वह घर-होरिबर एक रमशान की तरह है जहाँ उनके पूव हूव माता-पिता की सुरक्षा अथवा देखभाल नहीं की जा सकती। उन्हें घर पर समान देने के स्थान पर ओल्ड होम में भेजने की योजना बनाई जाए। वास्तव में यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही कही जा सकती है। माता-पिता अपना सारा जीवन बच्चों के लालन-पालन में व्यतीत कर देते हैं। उनकी खुशी में खुश होते हैं और अपने कष्ट में दुखी हो जाते हैं। सामन सम्पन्न लोगों की तो खेर बात ही अलग है। वे अपने बच्चों की सारी आवश्यकताएँ सुक्ति II से पूरी करते हैं। परन्तु जिनके पास उनकी सुविधाएँ नहीं हैं, वे माता-पिता भी अपने बच्चों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ें।

आजकल लोग घर में कुते-बिलियों वालते हैं और उनकी देखभाल के लिए नौकरों की फौज भी रखते हैं। उन पर वर्षभर में लाखों रुपए हंसी-खुशी खर्च देते हैं किन्तु माता-पिता को उनके लिए कुछ बोझी-सी राशि देने के पास नहीं बचती, यानी सारी कटौती उन्हीं के लिए की जाती है। इस हम उन बच्चों का दुर्भाग्य ही कहा सकता है। धन्य है ऐसी नालायक सनतान जिसे इतनी ही तभीज नहीं कि घर रसीभर भी अपने माता-पिता के परवार कर ले। यह देख ले कि उन्होंने भोजन खाया है या नहीं, कहीं उनका स्वास्थ्य तो खराब नहीं है, उन्हें दवा की आवश्यकता नहीं है, उनके पास पहनने के लिए वस्त्र तो हैं। ऐसे घरों में किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान, दिन जाने वाले दान आदि सब बख्ते हो जाते हैं। वहाँ से सुख-शांति कब उठने पू हो जाती है, पता ही नहीं चलता। इन्हीं कपूतों को पाने के लिए माता-पिता ईश्वर से हाथ जोड़कर पुत्र की कामना करते हैं। जो उनके जीने की पैसा नहीं कर सकता, उनका ध्यान नहीं रख सकता, वह उन्हें कौन से तथ्याकथित नरक से उभारेगा, जैसी कि मान्यता है। इन्हीं कपूतों के लिए बेटियों को जन्म लेने से पहले ही माता के कर्तव्य में मान दिया जाता है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अधिकांश बेटियों को अपने माता-पिता की परवाह देते से अधिक होती है। वे आजन्म उनकी बिल्डिंग को पहले ही जमींदारी करने का संकल्प भी लेना चाहिए।

सभी धर्मों और संस्कृतियों में माता-पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। उनका अपमान करना या उन्हें दुखी करना नैतिक रूप से गलत है। मां-बाप हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वे हमारा पालन-पोषण करने के लिए अपना सुख-चौन त्याग देते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। उन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया और इस योग्य बनाया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उनके इस अहसान का बदला हम कभी नहीं चुका सकते।

पड़ने पर उनका सहारा भी बनती है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अपने माता-पिता के लिए विनित रहने वाली यही बेटियाँ जब बूढ़ बनकर ससुलार जाती हैं तो वहाँ जाकर सास-ससुर को ही भार मारने लगती हैं। उनकी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखने में कोताही बरती है। वहाँ जाकर उन्हें सारी नैतिकता भूल जाती है। उसी माता-पिता सनार सास-ससुर से उन्हें उनका सारा िन-सम्पत्ति चाहिए होती है। उनके साथ कर कृत्यताय तो उन्हें बड़ी अचूकी तरह से प्यार रहते हैं परन्तु अबकी दायित्वों से वे हूँगे मोड़ लेती हैं। यानी उन्हें अपने कर्तव्यगत लोभ भूल जाते हैं। यही कारण है कि आवश्यकता से अधिक पढ़ी-लिखी आज की यह युवा पीढ़ी अपने सारे कर्तव्यों को तुक पर रखकर मात्र अपने ही स्वर्ण को संधान में लगी रहती है। जिसका परिणाम बहुत बुराका सिद्ध हो रहा है। जिसकी पुजा करनी चाहिए थी, वे ईश्वर शुद्ध माता-पिता उन्हें बड़ा बड़ा लाल लगे हैं। घर के बुजुर्गों को या तो कोने में धिजा कर रहा है या फिर परेशान होकर उन्हें किसी वृद्धाश्रम की शरण में मान दिया जाता है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अधिकांश बेटियों को अपने माता-पिता की परवाह देते से अधिक होती है। वे आजन्म उनकी बिल्डिंग को पहले ही जमींदारी करने का संकल्प भी लेना चाहिए।

कौन पाल सकते हैं परन्तु दस बच्चों के होते हुए वे दरबदार की ठोकरें खाते को विवश हैं। कभी वृद्धाश्रम जाने का अवसर मिले तो वहाँ विद्वान् वृद्धों से यह अवश्य पूछना कि आपका बेटा क्या करता है? उनमें से अधिकांश बजुर्ग का यही उत्तर होता कि उनका बेटा बड़ा अफसर है या नानी डौलदर है या सुप्रसिद्ध वकील है या योग्य इंजीनियर है या मजिस्ट्रेट है अथवा किसी कालेज या युनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इन सभी पढ़े-लिखों को क्यों और किससिलक को उनके कर्तव्यता का बोध कराए। इसके विपरीत शायद ही कोई वृद्ध वृद्ध पर ऐसा मिलेगा जिसका बेटा अफसर है या गरीब है। इसका कारण है कि आयुका या गरीब व्यक्ति को समाज और ईश्वर का डर होता है। उसके मन में कभी यह नहीं आएगी कि माता-पिता को कभी वृद्धाश्रम भेजा जा सकता है। यह पाश्चात्य जगत के अरु नागरिकों के कारण यही आयुकि गुरु को सत्त्व बनता जा रहा है तो इस संस्कार पर सी बार भिक्कारों है। ऐसी संस्कार के लिए तो अन्ततः माता-पिता यही कह बैठते हैं ऐसी सनतान के न होने पर वे विपत्सन्तान रह जाते तो अकथा था। ईश्वर तथ्याकथित शिशित और सभ्य कहलाने वाली ऐसी नालायक पीढ़ी को सद् बुद्धि प्रदान करें।

आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा क्लाइंट आधार हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड शाखा बस्ती ब्रान्च आफिस प्रथम तल मकान सं०- 1323, मोहल्ला - पिकौरा शिवगुलाम कटेश्वर पार्क के पास गांधीनगर, बस्ती 272001 उ०प्र० की तरफ से सूचित किया जाता है कि श्री राकेश कुमार पुत्र पवन कुमार, गा०- फेटवा, पोस्ट - गौसपुर, गौसपुर कलवारी बस्ती 272301 ने एक बैनामा 1320 वर्गफीट स्थित गाटा सं०- 276 मौजा महरीखावा तप्पा हवेली तहसील - बस्ती, परगना - बस्ती पूरब, जनपद बस्ती जिसकी चौहदी - पूरब में - प्लाट जितेन्द्र कुमार, पश्चिम में - जमीन मुकिर, उत्तर में सड़क 15 फिट चौड़ा दक्षिण में मकान राजेश सिंह, इसको बंधक रखने बैंक अथवा संस्था को प्रश्नगत सम्पत्ति में आपत्ति हो तो इस प्रकाशन के 7 दिन के अन्दर आपत्ति अधोहस्तातरी के समक्ष प्रस्तुत कर दे अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि किसी भी के उपरोक्त संस्था को बंधक रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

(प्रयांशु शुक्ला एडवोकेट)

L.G.F.-011, निचली भूतल, A1 बिल्डिंग
ब्लाक - A, सेक्टर-59 नोएडा उ०प्र०
पिन कोड-201301
मो०-8920298602

जिला पंचायत नयेन गठानकर
बस्ती (उ.प्र.) से मुदित एव
प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक-दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक-प्रदीप चन्द्र पण्डेय
अध्याया-फैजाबाद कार्यालय-
चतुर्दशी मंदिर परिसर लखन्यू घाट
अध्याया-फैजाबाद
लखन्यू कार्यालय-
आशियाना चौकता, एल.डी.ए. कालोनी,
सेक्टर १५, कानपुर २०००६८ लखन्यू।
गोरखन्यू कार्यालय-
इलाहीबाग गोरखन्यू।
फोन ९३३३६७ १५००६, ८४००९२५६३
निगेस bhartiayabasti@gmail.com
dainikbhartiayabasti@gmail.com